

महर्षि डिग्री
न्यायालय उपसह्यमह अधिकारी (राजस्थान) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी जिला हनुमानगढ़
पीटासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

आ संख्या - 191 / 2124

आल :

जमासीनसिंह पुत्र सुखनामसिंह जाति जटसिंह निवासी 4 कोएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. सुखनाम सिंह पुत्र सुखबदनसिंह जाति जटसिंह निवासी 4 कोएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. जसकरामसिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिंह निवासी 4 कोएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. बलकरामसिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिंह निवासी 4 कोएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. नन्ददीपसिंह पुत्र जमाजीतसिंह जाति जटसिंह निवासी 4 कोएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. मधनसिंह पुत्र सुखबदनसिंह जाति जटसिंह निवासी 4 कोएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान कायदाकारी अधि० 1955

अधिवक्ता:-1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग

:-वादी

2 अधिवक्ता करनैलसिंह

:-प्रतिवादीगण

डिग्री

दिनांक 21/2/25


आज यह वाद मुझे सत्यनारायण उपसह्यमह अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष दखील वादी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिग्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 4 कोएसपी के खाता सं० 43/41 में कुल 253 है० आराजी में वादी के पिता प्रतिवादीसं० 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीसं० 2,3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीसं० 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीसं० 5 का 1/6 हिस्सा का वादी को खातेदार कायदाकार घोषित किया जाकर चक नं० 4 कोएसपी के खाता सं० 43/41 में से प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि

अधिकारों में रुक रहने है तो रहने मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन

नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/2/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण अग्रवाल.ए.)
उपसचिव सहायकारी (राजस्व)
एवं सहायक क्लर्क
टिब्बी